न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट) कानपुर देहात

सत्र वाद सं0 926/2021

24.8.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। तलबी के बिन्दु पर परिवादी शुक्ला गौतम के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में परिवाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी ने अपनी पत्नी भगवानदेही के नाम एक प्लाट दिनांक 25.6.2019 को अपने गांव में क्रय किया था तथा उसकी रजिस्ट्री विक्रेता राधेश्याम तथा अरविन्द कुमार ने परिवादी की पत्नी भगवानदेही को विक्रय पत्र के द्वारा रजिस्ट्री करा दी थी, उक्त दिनांक से परिवादी उक्त जमीन पर काबिज है परन्तु परिवादी के ही गांव के विजय, चन्द्रप्रकाश, पंजाबी व सुनील उक्त जमीन पर दबंगइ के बल पर कब्जा करना चाहते हैं जो कि लोदी राजूत जाति के हैं। दिनांक 21.2.2021 को समय लगभग 3 बजे दिन में उक्त सभी ने उक्त प्लाट में जो भी सामान रखा था उसे उठाकर फेंक दिया तथा मना करने पर मारने पीटने पर अमादा हो गए परिवादी डर के कारण अपने घर में घुस गया तो सभी लोग जातिसूचक गालियां देते हुए मेरे घर के अंदर जबरिया घुस आए और लात–घूसों से मारने पीटने लगे, आवाज सुनकर मेरी पत्नी बचाने आइ तो विजय ने पत्नी के साथ अश्लील हरकत की तथा बदनियती से बाल पकड़कर जमीन में गिरा दिया तथा उसके कपड़े फाड़ दिए तथा चन्द्रप्रकाश व पंजाबी कह रहे थे कि इस साली चमरिया की इतनी बेइज्जती कर दो जो कहीं मूंह दिखाने लायक न रहे और गांव छोड़कर भाग जाए सुनील ने मेरे घर गृहस्थी का कीमती सामान तोड़ डाला तथा कह रहे थे कि हम लोग तुम्हें गांव मे नहीं रहने देंगे, परिवादी की पत्नी के चिल्लाने तथा शोर पर आसपास के लोगों के आ जाने के कारण उक्त लोग जातिसूचक गालियां देते कह रहे थे कि साली चमरिया आज तो बच गयी अगर कहीं शिकायत की और जगह खाली न की तो अबकी बार मूंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे तथा गांव में रहने नहीं देंगे।

परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का धारा–200 दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत एवं 202 दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत भगवान देवी व पूरनलाल को परीक्षित कराया गया है।

परिवादी ने अपने बयान धारा 200 दं0 प्र 0 सं0 में परिवाद में अंकित कथनों के अनुरूप ही कथन किया है तथा विपक्षीगण द्वारा उसके साथ मारपीट करने व पत्नी के बचाने पर बाल पकड़कर जमीन में गिराने व कपड़े फाड़ने तथा बेइज्जत करने व प्लाट पर रखा सारा सामान बाहर फेंकने का कथन किया है। इस प्रकार परिवादी ने परिवाद में अंकित कथनों का समर्थन किया है।

साक्षी भगवान देवी जो कि परिवादी की पत्नी है, ने अपने बयान में कथन किया है कि विपक्षीगण ने मुझे भी मारा पीटा तथा विजय ने मेरे साथ अश्लील हरकत की तथा बदनियती से मेरे बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया तथा मेरे कपड़े फाड़ दिए जिससे मेरी लल्ला भंग हो गयी। साक्षी पूरनलाल ने भी परिवाद कथानक एवं साक्षियों के

साक्ष्य का समर्थन किया है।

इस प्रकार परिवाद में अंकित तथ्य और परिवादी व साक्षीगण के साक्ष्यों से विपक्षीगण विजय, चन्द्रप्रकाश, पंजाबी व सुनील के विरूद्ध परिवादी के घर में घुसकर परिवादी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने गाली गलौज करने तथा परिवादी की पत्नी के साथ अश्लील हरकत कर बदनियती से बाल पकड़कर जमीन पर गिराने तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला बनता है और विपक्षीगण धारा 452,323,427 व 354 ख भा0 दं0 सं0 व एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट की धारा 3(1) द ध के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किए जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण विजय, चन्द्रप्रकाश, पंजाबी व सुनील को धारा 452,323,427 व 354 ख भा0 दं0 सं0 व एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट की धारा 3(1) द ध के अन्तर्गत परीक्षण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्तगण जरिए सम्मन दिनांक–20.10.2023 हेतु तलब हों। परिवादी पैरवी अंदर सप्ताह करे तथा गवाहान लिस्ट दाखिल करे।

दिनांक–24.8.2023

(रजत सिन्हा)
द्वितीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट),
कानपुर देहात।